न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/20

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
किशनाराम पुत्र भगाराम वगैरह	गणेशाराम पुत्र जोधाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 30.10.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश पुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 10 व 12, 13 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिश्नोई व श्री राजेश बिश्नोई उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 व 14, 15 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 07.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा डेडवा खुर्द के खेत खसरा नंबर 114 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 115 रकबा 3.74 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 137 रकबा 0.83 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.59 हैक्टेयर है जो पुराने खसरा नंबर 51मी, 120 रकबा क्रमशः 0.02, 0.73 से सृजित हुए है में से अप्रार्थी गुणेशाराम का 1/4 हिस्सा खातेदारी व खसरा संख्या 200 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 201 रकबा 1.36 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.86 हैक्टेयर जिसकी खातेदरी अप्रार्थी गुणेशा पुत्र जोधाराम के नाम आई हुई थी। उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से अप्रार्थी गुणेशा पुत्र जोधा मेघवाल के नाम से पूर्व में दर्ज खातेदारी आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 7 की पुश्तैनी पैतृक पारिवारिक आराजी होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के कब्जाकाश्त की आई हुई है। मौजा डेडवा खु[illegible] उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से अप्रार्थी गुणेशा की खाते[illegible] संख्या 5 लगायत 7 की संयुक्त परिवार की पुश्तैनी [illegible] हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार संयुक्त परिवार की पुश्तैनी [illegible]राजी में जन्म से ही अधिकार पैदा होता है। मौजा डेडवा खुर्द में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 गुणेशा की खातेदारी आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का नौशनल शैयर पैदा होने से प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से एवं बंट की आराजी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:46:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

तारीख

खातेदारी पाने का अधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद के बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें की मौजा डेडवा खुर्द के खसरा संख्या 114, 115, 137 जुमले रकबा 4.59 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण 1/4 हिस्से व बंट के कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य से दखलंदाजी करावें व मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 व 14, 15 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा डेडवा खुर्द के खेत खसरा संख्या 114, 115, 137 जुमले रकबा 4.59 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 200, 201 जुमले रकबा 1.86 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **07.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:46:52 IST
Reason: SelfAttested